न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 23/2024

उनवान

1. घीसी पत्नी गोरधन जाति गुर्जर नि0 मजररा बाडा, श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नी भंवरलाल (फौत जरियें वारिसान)
1/1. कैलाश पुत्र भंवरलाल
1/2. गणपत पुत्र भंवरलाल
1/3. मन्जू पुत्री भवंरलाल
1/4. श्रवण पुत्र भवंरलाल
2. हीरा पुत्र नन्दा,
3. बरदीचन्द,
4. बसराम,
5. गोपाल पि0 नन्दा समस्त जाति अहीर नि0 मण्डियानी,
6. मनफूल पत्नी छोटू खां, नि0 जिलावडा
7. सोराज पुत्र किशना जाति गुर्जर नि. मण्डियानी, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :– 1/1., 2 से 5 जरियं अधिवक्ता श्री नितेश यादव
8 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 19.6.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिलाना के हाल खसरा नमबर 10/0.04, 21/0.14, 24/1.80, 25/0.36, 9/0.10 किता 5 रकबा 2.44 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के सीमाज्ञान के लिये आवेदनकर्ता द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को सीमा ज्ञान के लिये आवेदन पत्र पेश किया गया। जिस पर नाप चौप कर पतथरगढी नही करवायी गयी। प्रार्थी अपनी आराजी का विकास कार्य करवाना चाहता है जिसके लिये पत्थरगढी करवाना आवयक है। उक्त आराजी की पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के विकास कार्य करने में असमर्थ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा के लगायत अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई अतिकमण नही किया है।

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर कय दिनांक से काबिज है। मौके पर पूर्व विकेता द्वारा दिवार का निर्माण किया हुआ है जो 40 वर्षो से बनी हुयी है। प्रार्थी अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा 3–4 वर्षो पूर्व ही कय की है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया की प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.5.23 को उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य मौके पर विवाद है। वही अप्रार्थीगण का कथन है कि उनकी आराजी पर चारदीवारी बनायी हुयी है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। पत्थरगढी करने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा। पत्थरगढी करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव भी नही पडेगा। राज0 पैरोकर ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। शेष अप्रार्थीगण अपनी आपत्ति पत्थरगढी के समय भी प्रस्तुत कर सकते है।

अतः ग्राम तिलाना के हाल खसरा नमबर 10/0.04, 21/0.14, 24/1.80, 25/0.36, 9/0.10 किता 5 रकबा 2.44 की आराजी पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की विधिवत उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद